

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के

अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

58-चाकसू (अ.जा) विधानसभा निर्वाचन - क्षेत्र से राजस्थान

राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि इंडियन नेशनल काँग्रेस के श्री वेद प्रकाश सोलंकी निवासी मं.सं. 53/134 वी.टी. रोड, मानसरोवर, जयपुर 302020 उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- कॉमर्स कॉलेज

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

तारीख:- 11.12.2018

(बनवारी लाल सिनसिनवार)

रिटर्निंग ऑफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, चाकसू (58) (अ.जा.)

Conduct of Election Rules, 1961  
(Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election When seat is constested)

Declaration of the result of Election under section 66 of  
The Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from 58-  
CHAKSU (SC) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the  
Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the  
Conduct of Election Rules, 1961,

I declare that VED PRAKASH SOLANKI Resident of HOUSE NO. 53/134 VT  
ROAD, MANSAROVAR, JAIPUR-302020 sponsored by INDIAN NATIONAL  
CONGRESS Party has been duly elected to fill the seat in that House  
from the above constituency.

Place:- Commerce college

Jawahar Lal Nehru Road ,JAIPUR

Date:- 11.12.2018

  
( BANWARI LAL SINSINWAR)

Returning officer.

( Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate Chaksu)  
ASSEMBLY CONSTITUENCY CHAKSU (58), (SC)